

राजस्थान विधान सभा
तृतीय सत्र
विधान सभा समाचार (बुलेटिन)
भाग-2
(विधान शाखा)

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या 58

विधान सभा भवन,
जयपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2009

बुलेटिन संख्या 57 दिनांक 10 जुलाई, 2009 के अधिलघन में समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 के परिवर्तित आय-व्ययक की मांगें जिन तिथियों को तथा जिस क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी, उन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

| दिनांक | मांग संख्या | विभाग |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| 16 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 36 | सहकारिता |
| 17 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 26 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई |
| 20 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 24 | शिक्षा कला एवं संस्कृति |
| 21 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 42 | उद्योग |
| | मांग संख्या - 47 | पर्यटन |
| 22 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 28 | ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम |
| | मांग संख्या - 50 | ग्रामीण रोजगार |
| | मांग संख्या - 30 | जन जाति क्षेत्रीय विकास |
| 23 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 46 | सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) |
| 24 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 37 | कृषि |
| | मांग संख्या - 39 | पशुपालन एवं चिकित्सा |
| 27 जुलाई, 2009 | मांग संख्या - 16 | पुलिस |
| | मांग संख्या - 17 | कारागार |

उपरोक्त मांगों से संबंधित कटौती-प्रस्ताव जिस दिन मांग सदन में विचारार्थ ली जायेगी, प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रत्येक मांग पर मतदान भी उसी दिन होगा ।

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के अन्तिम दिन अर्थात् 27 जुलाई, 2009 को जो मांगे शेष रह जायेंगी, उन पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर उन्हें सदन में मतदान हेतु तुरन्त प्रस्तुत किया जायेगा ।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-148 के अनुसार कटौती प्रस्तावों की सूचना, मांग के सदन में विचारार्थ लिये जाने के दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) मध्याह्न 1.00 बजे तक प्राप्त होने पर ही उनकी ग्राह्यता पर विचार किया जा सकेगा । साथ ही प्रक्रिया के नियम 148-का के अन्तर्गत किसी एक मांग के अनुदान को कम करने के पाँच से अधिक कटौती प्रस्तावों की सूचना ग्राह्य नहीं होगी ।

एच.आर. कुडी,
सचिव ।